

26/10/23

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत: अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

कालूराम बनाम ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला

निगरानी प्रकरण सं० १५/2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

श्री गंगानगर

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
10.05.2023	<p>निगरानीकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। निगरानी बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला के गांव कालवासिया में फिरनी की जगह पर कोई अतिक्रमण नहीं कर रहा है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी अहाता की जगह में ही तारबन्दी की हुई है। गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 ने राजनैतिक रंजिशवश गलत तौर से नोटिस क्रमांक 42 दिनांकित 18.04.2023 प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.04.2023 व नोटिस संख्या 45 दिनांकित 27.04.2023 प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.04.2023 निगरानीकर्ता को प्रेषित करवाए। अब गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के अहाता में जबरन मदाखलत कर निगरानीकर्ता की तारबन्दी हटवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस कारण से मौके पर कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है और उससे विवादों को बढ़ावा मिलेगा। अतः स्थगन प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश करके निवेदन है कि निगरानी के लम्बनाकाल के दौरान अप्रार्थी को पाबंद किया जाए कि विवादीत स्थल/अहाता वाके गांव कालवासिया में निगरानीकर्ता की मौके पर की हुई तारबन्दी को हटाने से बाज व ममनु रहे तथा मौके की यथास्थिति कायम रखी जाए।</p> <p>बहस एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अतः प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन निगरानीकर्ता के पक्ष में है। फलस्वरूप स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा गैरनिगरानीकर्ता 1 व 2 को पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला के गांव कालवासिया से संबंधित नोटिस क्रमांक 42 दिनांकित 18.04.2023 व नोटिस क्रमांक 45 दिनांकित 27.04.2023 में वर्णित भूमि की मौके की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखें। पत्रावली वास्ते तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 01.06.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>(हस्ताक्षर)</i> अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर</p>	<p>श्री गंगानगर</p> <p>75/738</p> <p>18/5</p>
01.06.23	<p>निगरानीकर्ता अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>ग्राम पंचायत बहरामपुरा बोदला, पं.स.</p> <p>श्री गंगानगर अधिवक्ता श्री गंगानगर</p> <p>हुक्म द्वारा पंचायत नामा पत्रावली (पत्रावली) पत्रावली पेश करने/पत्रावली वास्ते बहस</p> <p>उपस्थित जज 01/06/23 को पेश की गई पत्रावली</p> <p>आगामी पेश तलबी वास्ते तलबी हेतु दिनांक 01.06.23 को पेश हो।</p>	

7/10/25 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासकिय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 12.10.25 को पेश है।

12/11/25 पीठासीन अधिकारी अस्मिता-बनम-पर ... सुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्र कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश है।

17.12.25 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्तु बहस अथ तिनां 10.02.26 को पेश है।

10.2.26 पीठासीन अधिकारी अस्मिता-बनम-पर ... सुनाव कार्य में व्यस्त है। पत्र कारान के अभिभाषक उपस्थित है। पत्रावली दिनांक 11.3.26 को पेश है।

11/3/26 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासकिय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 07/4/26 को पेश है।

07/4/26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली वास्तु बहस तिनां 28.4.26 को पेश है।

28.4.26 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशासकिय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19.5.26 को पेश है।

19.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकर्ता उपस्थित नहीं। अधिवक्ता निगरानीकर्ता को पृथक-पृथक समय पर रुक-रुक कर, बार-बार आवाजें लगाई गईं, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। ऐसी स्थिति में निगरानी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे व बाद तरतीब तकमील जिला अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

